न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
71/2021 वादपत्र	18.08.2021	07.05.2025

उनवान

1. श्री लादू पिता स्व० नन्दा बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्री राधेश्याम पिता स्व० नन्दा बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. श्री लक्ष्मण पिता स्व० बगतावर बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) मृतक के बजाय :–
   3/1 – उदय लाल पिता स्व० लक्ष्मण बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   3/2 – दुर्गालाल पिता स्व० लक्ष्मण बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   3/3 – फुलवन्ती पुत्री स्व० लक्ष्मण बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   3/4 – रतनी पुत्री स्व० लक्ष्मण बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   3/5 – श्रीमति हीरू पत्नि स्व० लक्ष्मण बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. श्री हीरा पिता स्व० बगतावर बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

—— वादीगण

बनाम

1. श्री दुर्गेश उर्फ दुर्गालाल पिता बंशीलाल मेघवंशी निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्री रमेश पिता रामप्रसाद धोबी निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. श्रीमति शारदा पुत्री रामप्रसाद धोबी निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. श्री सत्यनारायण पिता रामप्रसाद धोबी निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
5. श्री देवा पिता स्वाईराम बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
6. श्रीमति प्यारी पुत्री स्वाईराम बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
7. श्री दल्लु पुत्री स्वाईराम बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
8. श्रीमति गीता पुत्री जवाहरमल बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज))
9. श्री प्रभू पिता नंदा बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
10. श्रीमति कंकू बेवा नंदा बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाड जिला भीलवाडा (राज०)
11. श्री सुरेश पिता कल्याण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
12. श्रीमति पुष्पा पुत्री कल्याण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भील वाडा जिला भीलवाडा (राज०)
13. श्रीमति सोसी बेवा कल्याण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

14. श्री लेहरू पिता नारायण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भील वाडा जिला भीलवाडा (राज०)
15. श्री भगवान पिता नारायण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भील वाडा जिला भीलवाडा (राज०)
16. श्री टीकम पिता नारायण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) **मृतक** डिलीट किया गया
17. श्री कैलाश पिता नारायण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
18. श्री चान्दू पुत्री नारायण निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
19. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा (राज०)
20. उप–पंजीयक भीलवाडा (राज०)
21. नगर विकास न्यास भीलवाडा (राज०)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 92(क) व 188 आर0टी0ए
में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादीगण श्री मांगीलाल सेन, उपस्थित।

2–अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 01 व 03 की और से श्री भैरूलाल बापना

3– प्रतिवादी संख्या 02 व 04 से लगायत 15, 17 से 21 उपस्थित नहीं।

4– प्रतिवादी संख्या 16 मृतक डिलीट

–:: <u>निर्णय</u> ::–

प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 05.07.2024 को प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम पालडी में स्थित साबिक आराजी नं. 1191 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, प्रतिवादी सं. 5 से 18 के पूर्वज श्री किशना पिता मगना जी चमार के नाम पर आज से करीब 72 वर्ष पूर्व संवत् 2009 के पूर्व से ही खातेदारी हक से दर्ज होकर कब्जे काश्त में थी। उनकी मृत्यु के बाद यह भूमि उनके वारिसान सवाईराम पिता किशना एवं नंदा, नारायण पिता उदा जी चमार के नाम पर संवत् 2018 अर्थात् आज से करीब 60 वर्ष पूर्व दर्ज होकर कब्जे काश्त में आयी। उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान प्रतिवादी सं. 5 से 18 के नाम पर दर्ज हुई । गत बंदोबस्त की आराजी सं. 1191 घीसा पिता रामा के नाम पर दर्ज थी। घीसा की मृत्यु के पूर्व ही यह आराजी संवत् 2009 के पूर्व ही किशना पिता मगना के नाम से हस्तान्तरण हो गयी थी इस कारण घीसा की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र एवं वादीगण के पूर्वज गोकल के नाम से इंतकाल संवत् 2018 के लगभग दर्ज हुआ उसमें भी इस साबिक आराजी नं. 1191 का नामान्तरकरण वादीगण के पूर्वजों के नाम पर नहीं हुआ और न ही कोई एत्तराज उनके द्वारा किया गया अतः अब गोकल के वारिसान वादीगण का इस आराजी के संबंध में उजर करना न्याय संगत नहीं है । इसके बाद फर्दन–फर्दन पंजीकृत विक्रयपत्रों से यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज हो गयी है और इस भूमि पर चक्त क्रय से ही प्रतिवादी सं. 1 का ही कब्जा चला आ रहा है। इस आराजी को प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी अन्य आराजियात के साथ सम्मिलित करते हुए पाटियों की बाउण्ड्री वाल बना रखी है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नवीन सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान वादीगण के पूर्वज मांगीलाल, बरदा, बख्तावर पिता गोकल जी चमार ने सहायक भूप्रबंध, अधिकारी भीलवाड़ा के यहां एक प्रार्थनापत्र दिनांक 20–07–1971 को पेश किया कि हमारे पिताजी गोकल जी फौत हो गये हैं और हम उनके तीन पुत्र हैं इसलिये आराजी नं. 1486 1487, 1488, 1915. 1916 1917 1918 1919 किता 8 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि हमारे नाम पर दर्ज करायी जावे, जिस पर पत्रावली सं. 764/71 दर्ज हुई और बाद जांच इन नवीन आराजियात को उनके नाम पर दर्ज करने का आदेश हुआ । प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता इन वादीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में कहीं भी आराजी नं. 2018 रकबा 0.8978 हैक्टेयर भूमि को अपनी होने का कोई हवाला नहीं दिया । अगर यह भूमि उनकी होती तो वे इस भूमि को भी अपने नाम पर दर्ज कराने के लिये अपने उक्त प्रार्थनापत्र में इस आराजी नं. 2018 का भी अंकन अवश्य करते । इससे स्पष्ट है कि यह आराजी उनके पूर्वज किशना वल्द मगना जी चमार को विक्रय कर चुके थे जो संवत् 2009 में ही राजस्व अभिलेख में उसके नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हो गयी थी। वादीगण का दायित्व है कि रेकार्ड की पूरी श्रृंखला संवत् 1985 से 2009 तक का न्यायालय के समक्ष पेश करे ताकि सत्यता सामने आ सके । संवत् 1985 के रेकार्ड में घीसा वल्द रामा चमार के नाम पर आराजी किता 10 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा भूगि बत्तायी जाती है उसमें से केवल 8 आराजियात को ही घीसा वल्द रामा चमार के वारिसान मांगीलाल बरदा, बख्तावर पिता गोकल जी चमार अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु सेटलमेंट विभाग में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हैं। दो खसरा नंबर की भूमि तो घीसा पिता रामा चमार व उसके वारिस गोकल वगैरह किसी अन्य को विक्रय कर चुके थे जिनमें से एक साबिक आराजी नं. 1191 जिसके कि नवीन आराजी नं. 2018 पड़े हैं उस पर वादीगण व उनके पूर्वजों का करीब 72 वर्ष से अधिक समय से कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में वादीगण को यह बाद पेश करने का कोई कारणवाद उत्पन्न नहीं होता है जिससे वादीगण का यह वादपत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के तहत निरस्त होने योग्य है।

प्रतिवादी सं. 5 से 18 के पूर्वज सवाईराम पिता किशना व नंदा, नारायण पिता उदयराम के नाम पर साबिक आराजी नं. 1191 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, गत बंदोबस्त में दर्ज थी जिसमें सवाईराम का 1/2 हिस्सा व नन्दा, नारायण पिता उदयराम का 1/2 हिस्सा था। संवत् 2025 के खसरा भूप्रबंध में वर्तमान आराजी नं 2018 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा के साबिक नम्बर 1191 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा दर्ज है और इसके कॉलम से. 23 में गत भूप्रबंध में दर्ज कृषकों के रूप में सवाईराम पिता किशना व नंदा नारायण पिता उदयराम चमार का नाम दर्ज है और कॉलम सं. 24 में वर्तमान बंदोबस्त में कृषक के रूप में भी सवाईराम पिता किशना व नंदा, नारायण पिता उदयराम का नाम दर्ज है ।

प्रभू पिता नंदा चमार ने वर्तमान आराजी न 2018 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा उसका सम्पूर्ण 1/12 हिस्सा देवीलाल पिता बालूलाल मेघवंशी निवासी 10–सी–12 रमेशचंद्र व्यास नगर भीलवाड़ा को दिनांक 04–03–2010 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर उसे आधिपत्य प्रदान कर दिया था। इसके बाद इस क्रेता देवीलाल पिता बालूलाल मेघवंशी ने अपने द्वारा क्रय की गयी इस 1/12 हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 1 दुर्गेश उर्फ दुर्गालाल मेघवंशी को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा दिनांक 15–07–2010 को विक्रय कर उसे आधिपत्य प्रदान कर दिया। नंदा पिता उदयराम के अन्य वारिसान कंकू पत्नी नंदा चमार व सुरेश, पुष्पा पिता कल्याण चमार व सोसी पत्नी कल्याण चमार ने उक्त हाल आराजी नं. 2018 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में अपना सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा रामेश्वर पित्ता खुमा बलाई निवासी भीलवाडा को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 08–01–2010 को विक्रय कर उसे आधिपत्य प्रदान कर दिया । तत्पश्चात् क्रेता रामेश्वरलाल बलाई ने अपने द्वारा क्रय किये गये इस सम्पूर्ण 1/6 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी सं. 1 दुर्गेश मेघवंशी को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 07–07–2010 द्वारा विक्रय कर उसे आधिपत्य प्रदान कर दिया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

देवा पिता सवाईराम प्यारी दल्लु पुत्री सवाईराम व गीता पुत्री जवाहरमल ने उक्त आराजी नं. 2018 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि को सत्यनारायण, रमेश पिता रामप्रसाद धोबी निवासी सांगानेर को दिनांक 27–04–2001 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर उनको आधिपत्य प्रदान कर दिया। तत्पश्चात् उक्त क्रेता सत्यनारायण धोबी ने इस आराजी नं. 2018 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में अपने सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 दुर्गेश को दिनांक 30–10–2018 को पंजीकृत किये गये विक्रयपत्र से विक्रय कर उसे आधिपत्य प्रदान कर दिया। इसी तरह प्रतिवादी सं. 2 रमेश उर्फ रामेश्वरलाल पिता रामप्रसाद धोबी ने इसी आराजी में अपने सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि को दिनांक 11–01 2021 को निष्पादित व पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा प्रतिवादी सं. 1 दुर्गेश मेघवंशी को विक्रय कर उसका आधिपत्य करा दिया ।

उक्त नारायण पिता उदयराम के वारिसान लेहरू, भगवान टीकम, कैलाश एवं चांदू उर्फ चांदी पिता नारायण बैरवा ने उक्त आराजी नं. 2018 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में अपने सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी सं. 3 शारदा पुत्री रामप्रसाद धोबी को दिनांक 28–05–2001 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर उसे आधिपत्य प्रदान कर दिया तत्पश्चात् प्रतिवादी सं. 3 शारदा पुत्री रामप्रसाद धोबी ने इस आराजी नं. 2018 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में क्रयशुदा अपने सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी स. 1 दुर्गेश को दिनांक 08–10–2018 को निष्पादित व दिनांक 15–10–2018 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर उसे आधिपत्य प्रदान कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों से सम्पूर्ण आराजी नं. 2018 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा (0.8978 हैक्टेयर) प्रतिवादी सं. 1 ने क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त कर ली है और इस भूमि पर वक्त क्रय से ही प्रतिवादी सं. 1 का अधिकार आधिपत्य निरंतर चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी तरह की स्थायी अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होता है जिससे माननीय राजस्व न्यायालय में यह वादपत्र पोषणीय नहीं होकर बार्ड बाई लॉ होने से निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से नाजायज तौर से रकम ऐंठने की नीयत से यह झूठा वादपत्र हमारे विरुद्ध पेश किया है जो सर्वथा मिथ्या होने से सव्यय निरस्तनीय है। वादीगण का व उनके पूर्वजों का गत 72 वर्षों से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का यह वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने से निरस्त होने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का यह वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने से सव्यय निरस्त कराया जावे।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का जवाब वादीगण की और से प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम पालडी की साबिक आराजी नबर 1191 रकबा 04–07 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वज घीसा पिता रामा चमार/बैरवा के नामपर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अधिकार के रूप में राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित थी जिसमें सेटलमेन्ट के पश्चात नये नम्बर 2018 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि 0.8978 हेक्टयर भूमि कायम हुऐ उक्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 1191 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि घीसा पिता रामा बैरवा के नाम पर दर्ज थी जो कि सम्वत 1985 की जमाबन्दी के अभिलिखित की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी वाद पत्र के साथ प्ररस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सम्वत 1985 के पश्चात सम्वत 2009 में सम्वत उक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना किसी आधार व दस्तावेज के प्रतिवादीगण के पूर्वज किशना पिता मगना के नाम पर सम्वत 2009 में दर्ज की गई जो कि रोटेशन की जमाबन्दी में बिना किसी आधार पर व बिना नामान्तकरण के उक्त भूमि को वादीगण के पूर्वज घीसा पिता रामा बेरवा / चमार के नाम से हटाकर किशना पिता मगना का नाम गलत रूप से छलकपट व दुर्व्यसने के आधार वादीगण व वादीगण के पूर्वजो को नुकसान पहुंचाने के आशय से व भूमि हडप करने के आशय से राजस्व रेकॉर्ड में गलत प्रविष्टि की है जोकि वादीगण वे हक व अधिकार के मुकाबले में अवेध व शून्य प्रभावी है तथा उसके पश्चात राजस्व रेकॉर्ड में गलत जो भी पश्चातवर्ती प्रविष्टिया हुई है। वे स्वतः ही अवेध व शून्य प्रभावी है अतः वादीगण को अपने पूर्वज घीसा पिता रामाजी को विधिक वारीस है जिन्हे खातेदारी अधिकारी की घोषाणा करना व प्रतिवादीगण का नाम रेकॉर्ड से हटाने का अधिकार वादीगण को है तथा राजस्व रेकॉर्ड में हुई गलत प्रविष्टयो को दुरस्थी करने व खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है सिवील न्यायालय को खातेदारी घौषणा इन्द्राज दुरस्ती का अधिकार नही है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा प्ररस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी व धारा 151 जा०दी को खारीज कराया जावें।

ग्राम पालडी की विवादित भूमि की आराजी नम्बर 2018 रकबा 3 तीन बीघा 11 बिस्वा यानि 0.8978 हेक्टयर भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 1191 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि सम्वत 1985 की जमाबन्दी में वादीगण के पूर्वज घीसा पिता रामा चमार जी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड दर्ज थी जिसे सम्वत 2009 में बिना किसी आधार के किशना पिता मगना चमार के नाम पर दर्ज कर दी व प्रतिवादीगण के पूर्वज किसना पिता मगना ने उक्त भूमि को किस दस्तावेज व नामान्तकरण के जरिए दर्ज कराई इस बाबत प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज व राजस्व रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं है व नामान्तकरण की प्रतिया प्रस्तुत नही की है बिना किसी दस्तावेज व नामान्तकरण व किसी अधिकारी के आदेश से उक्त भूमि किशना पिता मगना के नाम पर दर्ज नहीं हुई है जिससे स्पष्ट जाहिर है कि उक्त भूमि रोटेशन की जमाबन्दी बनाते वक्त गलत रूप से दर्ज हुई व जिसका नाजायज फायदा प्रतिवादीगण उठा रहे है चूंकि वादीगण के पूर्वजो निरीक्षर होकर राजस्व रेकॉर्ड क्या अकित है या नहीं इस बाबत ज्ञान नहीं था केवल मोके पर कब्जा होकर कास्त कर रहे थे इसलिए पूर्वजो द्वारा रेकॉर्ड दुरस्थी करवाने कि कोई कार्यवाही अमल में नहीं ला पाये हाल ही में मोके पर बेदखल होने पर धीसा पिता रामा जी बेरवा के वारीसान ने पुराना राजस्व रेकॉर्ड प्राप्त किया व उक्त त्रुटियो का ज्ञान हुआ जिससे यह वाद प्ररस्तुत किया है। जो कि विधिवत है। जिसका निर्णय साक्ष्य व रेकॉर्ड के आधार पर गुणावगुण किया जा सकेगा किन्तु प्रतिवादीगण मामले को लम्बा करने व प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य व रेकॉर्ड व गुणावगुण पर नही होने देना चाहता है। केवल मात्र तकनिक बिन्दू उपरी स्तर पर ही प्रकरण का निरस्तारण करवाना चाहता है। जो कतई संभव नहीं है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी व धारा 151 जा०दी को खारीज कराया जावें।

प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि फर्दन– फर्दन तारीखो में भूमि विक्रय पत्रो के आधार पर दर्ज है। इस बाबत वादीगण का निवेदन है। कि प्रतिवादीगण के पूर्वज किशना पिता मगना का नाम ही रोटेशन जमाबन्दी के गलत अंकित हुआ है तो उसके पश्चात समस्त प्रविष्टियाँ चाहे विकय पत्रो के आधार पर भी क्यो नही हुई हो सारी प्रविष्टियों अवेध व शून्य प्रभावी है तथा प्रतिवादीगण भूमि को भी गलत रूप से शामील कर अपने कब्जे में करना चाहते है। व निर्माण करना चाहता है। व मोके पर भूखण्ड काट कर आवासीय मकान बनाने पर आमादा है। व वादीगण को कब्जे सुदा भूमि से बेदखल करना चाहता है। इसलिए कब्जा अपना बताकर झुठा प्रार्थना पत्र प्ररस्तुत किया है। जो खारीज कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण के पूर्वज मांगीलाल बरदा बगतावर पिता गोकल जी चमार ने सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के यहा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20/7/71 को पेश किया कि हमारे पिता जी गोकल जी फोत हो गये है इसलिए आराजी न0 1486, 1487, 1488, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, कीता 8 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि नाम दर्ज कराई जावे प्रार्थना पत्र की प्रस्तुतकर्ता ने की पर भी आराजी नम्बर 2018, रकबा 0.8978 हेक्टयर का उल्लेख नहीं किया यदि यह भूमि उनकी हो तो प्रार्थन पत्र इस भूमि के आराजी का उल्लेख करते जिससे यह स्पष्ट हो गया है। कि उक्त भूमि को किसना पिता रामा को विक्रय कर चूकें जिससे सम्वत 2009 में राजस्व रेकॉर्ड अभिलेखा में दर्ज हो चूका है इस बाबत वादीगण का जवाब यह है कि प्रतिवादीगण ने इस कलम में झुठे कपोल कलपत व मनगढन्त तथ्य अंकित कर दिये जिसमें यह अनुमान लगा लिया की वादीगण ने अपेन पूर्वजो गोकल पिता घीसा की विरासत हेतु नाम दर्ज भूमि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे इस आराजी नम्बर 2018 का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए 2018 किशना पिता मगना को विक्रय कर दी यहा यह स्पष्ट करना उचित होगा कि सम्वत 1985 की जमाबन्दी में वादीगण के पूर्वज घीसा पिता रामा बेरवा का नाम अकिंत है व सम्वत 2009 की जमाबन्दी में किशना पिता मगना का नाम दर्ज हुआ तो किस आधार पर दर्ज हुआ नाम दर्ज किस आधार पर दर्ज किया गया यदि विक्रय से हुआ तो विक्रय पत्र की प्रति प्रतिंवादीगण को प्ररस्तुत करनी चाहिऐ या नामान्तकरण या अन्य दस्तावेजो से दर्ज हुआ तो किस नामान्तकरण के जरिए दर्ज हुआ उसकी प्रतिया प्रस्तुत होनी चाहिए किन्तु प्रतिवादीगण के पास कोई रेकॉर्ड नहीं है। तो यह माना जायेगा कि सम्वत 2009 की जमाबन्दी जो बनाई गयी उसके रोटेशन की जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कमचारियो द्वारा त्रुटियो की जिसे दुरस्थ किया जाना आवश्यक है जो दस्तावेजों प्रतिवादीगण को प्ररस्तुत करने चाहिये उसकी माँग प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से की जा रहा है। जो गलत होकर आधार हीन प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज कराया जावें।

विवादित भूमि आराजी न0 2018 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि यानि 0.8978 हेक्टयर भूमि के साबिक आराजी नम्बर 1191 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि किशना पिता मगना के नाम पर रोटेशन जमाबन्दी सम्वत 2009 मे गलत रूप से इन्दाज दुरस्थी हुआ है। गलत रूप से इन्दाज के आधार पर भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हुई व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियो को विक्रय पत्र मे जरिए विक्रय कर दी ऐसे विकय पत्र वादीगण के हक व अधिकार के मुकाबले स्वतः ही अवेध व शून्य प्रभावी है इसके अतिक्ति वादीगण ने गलत रूप से इन्दाज को दुरस्थ कराये जाने व अपने हक व हिस्सा की घोषणा का वाद प्ररस्तुत कर अनुतोष खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने व स्थायी निषोधाज्ञा का वाद है। विक्रय पत्रों निरस्त बाबत् कोई रूप नहीं मांगी गई है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र खारिज कराया जावें।

प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में बर्णित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 13 को दोहराते हुये निवेदन किया है कि वादीगण का वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 के अन्तर्गत खारिज कराया जावें। प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक दृष्टान्त 2021आर. आर.जे. 725 की प्रति पेश की जो इस प्रकरण पर लागू होती है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 04 व 12 से 13 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि घोषणा के वाद में कोई मियाद निर्धारित नहीं है वाद हेतुक होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का खारिज कराया जावें।

प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं इस प्रार्थना पत्र का वादीगण की और से प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया। वादग्रस्त ग्राम पालडी पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 जमाबन्दी वर्ष सम्वत 2077 वर्ष 2021 में ग्राम पालडी के आराजी नम्बर 2018 रकबा 0.8978 हैक्टेयर भूमि दुर्गेश उर्फ दुर्गालाल पुत्र बंशीलाल मेघवंशी साकिन सांगानेर 1/4 व 1/4 हिस्सा दर्ज है एवं शारदा पुत्री रामप्रसाद धोबी निवासी सांगानेर के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है इसी प्रकार सत्यनारायण पुत्र रामप्रसाद धोबी साकिन सांगानेर के 1/4 हिस्सा दर्ज है। ग्राम पालडी के आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 में सवाईराम पिता किशना, नन्दा, नाराण पिता उदयराम चमार साकिन सांगानेर दर्ज रेकार्ड थी। ग्राम पालडी के आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा के साबिक नम्बर 1191 रकबा 04–07 बीघा भूमि किशना वल्द मगना चमार साकिन सांगानेर के नाम दर्ज थी। ग्राम पालडी के साबिक आराजी नम्बर 1191 रकबा 04–07 बीघा भूमि के हाल आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा भूमि जमाबन्दी संवत् 1985 में वादीगण के पूर्वज घीसा पिता नन्दा चमार के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो वादीगण के पूर्वज घीसा पिता रामा की मृत्यु के पश्चात् गोकल पिता रामा के नाम दर्ज होकर गोकल पिता रामा के बाद बख्तावर के वारिसान नन्दा के बजाय लादु, राधेश्याम, लक्ष्मण, हीरा वादीगण के नाम दर्ज होना चाहियें लेकिन बिना किसी आधार के वादग्रस्त आराजी सवाईराम पिता किशना, नन्दा, नाराण आत्मज उदयराम के नाम दर्ज कर दी गई। वादीगण ने 72 वर्ष बाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया है।

वादीगण ने वादपत्र घीसा वल्द रामा चमार के नाम की ग्राम पालडी के साबिक आराजी नम्बर 1191 रकबा 04–07 बीघा भूमि के हाल आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड सम्वत् 1985 में घीसा वल्द रामा चमार के नाम आराजी नम्बर 756, 757, 758, 830, 831, 832, 833, 834, 1039, 1191 कुल किता 10 कुल रकबा 19–08 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी जो जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 में घीसा वल्द रामा चमार के नाम आराजी नम्बर 756, 757, 758, 830, 831, 832, 833, 834, 1039 कुल किता 09 कुल रकबा 15–01 बीघा भूमि दर्ज हुई। सेटलमेन्ट के पश्चात् घीसा वल्द रामा चमार के वारिस गोकल पिता घीसा चमार के नाम हाल आराजी नम्बर 1486, 1487, 1488, 1915, 1616, 1917, 1918, 1919 कुल किता 08 रकबा 11–06 बीघा भूमि दर्ज हुई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

श्री मांगीलाल, बरदा, बगतावर आत्मज गोकल चमार ने गोकल के फोत होने से गोकल के नाम की आराजी नम्बर 1486, 1487, 1488, 1915, 1616, 1917, 1918, 1919 कुल किता 08 रकबा 11–06 बीघा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण संख्या 764/71 दर्ज कर सुनवाई कर दिनांक 11.10.1971 को गोकल के स्थान पर उक्त भूमि मांगीलाल, बरदा, बगतावर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये।

वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 1191 के हाल आराजी नम्बर 2018 घीसा वल्द रामा चमार से गोकल पिता घीसा चमार के नाम दर्ज नहीं हुई जबकि आराजी नम्बर 1191 जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 में किशना आत्मज मगना चमार के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात् साबिक आराजी नम्बर 1191 रकबा 04–07 बीघा भूमि सवाईराम पिता किशना, नन्दा, नाराण पिता उदयराम चमार सा0 सांगानेर के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वज घीसा वल्द रामा चमार से गोकल पिता घीसा चमार के नाम दर्ज नहीं हुई है।

श्री मांगीलाल, बरदा, बगतावर आत्मज गोकल चमार ने सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 764/1971 निर्णय दिनांक 11.10.1971 में साबिक आराजी नम्बर 1191 रकबा 04–07 बीघा के हाल आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा भूमि के सम्बन्ध में उजरदारी प्रस्तुत नहीं की है।

इस प्रकार वादग्रस्त ग्राम पालडी की साबिक आराजी नम्बर 1191 के हाल आराजी नम्बर 2018 किशना आत्मज मगना चमार के नाम दर्ज होने के पश्चात् आराजी नम्बर 2018 सवाईराम पिता किशना, नन्दा, नाराण पिता उदयराम चमार सा0 सांगानेर के नाम दर्ज हुई। विक्रय पत्रों के आधार पर आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम दर्ज हो गयी। ग्राम पालडी के साबिक आराजी नम्बर 1191 के हाल आराजी नम्बर 2018 वादीगण के पूर्वज गोकल पिता घीसा चमार के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण का वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पालडी तहसील भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 1191 के हाल आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा यानि 0.8978 हैक्टैयर भूमि के सम्बन्ध में वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त ग्राम पालडी की साबिक आराजी नम्बर 1191 के हाल आराजी नम्बर 2018 किशना आत्मज मगना चमार के नाम दर्ज होने के पश्चात् आराजी नम्बर 2018 सवाईराम पिता किशना, नन्दा, नाराण पिता उदयराम चमार सा0 सांगानेर के नाम दर्ज हुई। विक्रय पत्रों के आधार पर आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम दर्ज हो गयी। ग्राम पालडी के साबिक आराजी नम्बर 1191 के हाल आराजी नम्बर 2018 वादीगण के पूर्वज गोकल पिता घीसा चमार के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण का वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें, तदनुसार डिक्री जारी करें।

([illegible]सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
71/2021 वादपत्र	18.08.2021	07.05.2025

उनवान

1. श्री लादू पिता स्व० नन्दा बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्री राधेश्याम पिता स्व० नन्दा बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. श्री लक्ष्मण पिता स्व० बगतावर बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) मृतक के बजाय :–
   3/1 – उदय लाल पिता स्व० लक्ष्मण बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   3/2 – दुर्गालाल पिता स्व० लक्ष्मण बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   3/3 – फुलवन्ती पुत्री स्व० लक्ष्मण बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   3/4 – रतनी पुत्री स्व० लक्ष्मण बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   3/5 – श्रीमति हीरू पत्नि स्व० लक्ष्मण बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. श्री हीरा पिता स्व० बगतावर बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पालडी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

—— वादीगण

बनाम

1. श्री दुर्गेश उर्फ दुर्गालाल पिता बंशीलाल मेघवंशी निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्री रमेश पिता रामप्रसाद धोबी निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. श्रीमति शारदा पुत्री रामप्रसाद धोबी निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. श्री सत्यनारायण पिता रामप्रसाद धोबी निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
5. श्री देवा पिता स्वाईराम बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
6. श्रीमति प्यारी पुत्री स्वाईराम बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
7. श्री दल्लु पुत्री स्वाईराम बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
8. श्रीमति गीता पुत्री जवाहरमल बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज))
9. श्री प्रभू पिता नंदा बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
10. श्रीमति कंकू बेवा नंदा बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाड जिला भीलवाडा (राज०)
11. श्री सुरेश पिता कल्याण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
12. श्रीमति पुष्पा पुत्री कल्याण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भील वाडा जिला भीलवाडा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

13. श्रीमति सोसी बेवा कल्याण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
14. श्री लेहरू पिता नारायण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भील वाडा जिला भीलवाडा (राज०)
15. श्री भगवान पिता नारायण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भील वाडा जिला भीलवाडा (राज०)
16. श्री टीकम पिता नारायण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) **मृतक** डिलीट किया गया
17. श्री कैलाश पिता नारायण बैरवा निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
18. श्री चान्दू पुत्री नारायण निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
19. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा (राज०)
20. उप–पंजीयक भीलवाडा (राज०)
21. नगर विकास न्यास भीलवाडा (राज०)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 92(क) व 188 आर0टी0ए में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादीगण श्री मांगीलाल सेन, उपस्थित।

2–अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 01 व 03 की और से श्री भैरूलाल बापना

3– प्रतिवादी संख्या 02 व 04 से लगायत 15, 17 से 21 उपस्थित नहीं।

4– प्रतिवादी संख्या 16 मृतक डिलीट

वादी की और से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन, उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 की और से श्री भैरूलाल बापना उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 व 04 से लगायत 15, 17 व 21 उपस्थित नहीं। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 07.05.2025 **पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–**

प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पालडी तहसील भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 1191 के हाल आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा यानि 0.8978 हैक्टैयर भूमि के सम्बन्ध में वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त ग्राम पालडी की साबिक आराजी नम्बर 1191 के हाल आराजी नम्बर 2018 किशना आत्मज मगना चमार के नाम दर्ज होने के पश्चात् आराजी नम्बर 2018 सवाईराम पिता किशना, नन्दा, नाराण पिता उदयराम चमार सा0 सांगानेर के नाम दर्ज हुई। विक्रय पत्रों के आधार पर आराजी नम्बर 2018 रकबा 03–11 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम दर्ज हो गयी। ग्राम पालडी के साबिक आराजी नम्बर 1191 के हाल आराजी नम्बर 2018 वादीगण के पूर्वज गोकल पिता घीसा चमार के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण का वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा